History 1935 (V) Paper

Q. भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं को लिखे।

Ans- ब्रिटिश औपनिवेशिक ढाँचे के अन्तर्गत क्रमिक संवैधानिक सुधारों की जो प्रक्रिया महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ प्रारंभ हुई इसकी परिणति 1935 के अधिनियम में हुई। वास्तव में 1935 का कानून संवैधानिक सुधारों की श्रृंखलाओं में सबसे भारी भरकम प्रावधानों के लिए हुए था जिसका असर स्वतंत्रयोत्तर भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर भी पड़ा।

1909 एवं 1919 के संवैधानिक सुधारों के बावजूद 1935 के अधिनियम को पारित करने की आवश्यकता हुई। क्योंकि स्थानीय जनता की भागीदारी के स्तर से राष्ट्रीय रोष में कमी नहीं आयी। इंग्लैंड में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श के उपरान्त 1935 का एक्ट बेहतर प्रशासन कायम करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ।

1935 के प्रावधानों पर गौर करने से इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उभरते हैं।

(I) समस्त भारत के लिए संघीय सरकार की योजना जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव था तथा

(II) प्रान्तिय स्वायत्तताओं के आधार पर प्रान्तों में लोकप्रिय तथा जिम्मेदार शासन की स्थापना।

1935 के एक्ट के अन्तर्गत प्रान्तों में द्वैध शासन के प्रावधान (जो 1919 के कानून द्वारा लागु किया गया था) की समाप्ति कर दी गई किन्तु इसे केन्द्र में बहाल किया गया। केन्द्रिय शासन के कुछ विषय संरक्षित एवं ~~कुछ~~ सुरक्षित रखे गए। जिनका प्रबन्धन गवर्नर जेनरल के सलाहकार की मदद से करना जबकि अन्य विषयों को भारतीय मंत्रियों को हस्तान्तरित करने का निश्चय किया गया। दुसरे शब्दों में पहली बार केन्द्र में भी भारतवासियों को कुछ हद तक उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार किया गया।

प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ प्रादेशिक क्षेत्रिय पुनःवितरण किया गया। सिन्ध और उड़ीसा दो नए राज्यों का पृथक अस्तित्व कायम हुआ और ~~इसके~~ साथ ही बर्मा का भारत से पृथक्करण हो गया और उसके लिए पृथक संविधान का निर्माण हुआ।

संघ की विभिन्न इकाईयों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने एवं संविधान के प्रावधानों की व्याख्या के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।

साम्प्रदायिक निर्वाचन का (दूषित) सिद्धान्त जो पहली बार 1909 में सरकारी अधिनियम द्वारा समाविष्ट हुआ। न केवल जारी रखा गया बल्कि इसे और व्यापकता प्रदान की गयी। समाज में साम्प्रदायिकता का विष घोलने के उद्देश्य से परिगणित जातियों को भी निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया।

मताधिकार की पद्धति में आंशिक संशोधन कर इसका कुछ विस्तार किया गया। वयस्क मताधिकार की चीज तो अभी दूरस्थ बात थी। लेकिन जनसंख्या के चौदह प्रतिशत जनता को वोट देने का अधिकार मिल गया।

1935 के संवैधानिक सुधारों की जिस योजना में संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई। उसकी इकाइयां गवर्नरों के प्रान्त, चीफ कमिश्नरों के प्रान्त और देशी राज्य की इकाइयां स्वीकार हो गयी। संघ में सम्मिलित प्रान्तीय सरकारों अथवा जनता की इच्छा को प्राथमिकता दी गई। किन्तु उस देशी राज्यों का संघ में शामिल होना उनकी इच्छा पर निर्भर था। यद्यपि प्रान्तों को स्वायत्तता मिल चुकी थी फिर भी केन्द्रीय सरकार को उनके मामले में हस्तक्षेप करने की काफी गुंजाइश थी। संघीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह शर्त थी कि उसमें कम से कम इतने राज्य सम्मिलित होने के लिए प्रस्तुत हो जिसकी जनसंख्या समस्त राज्यों के जनसंख्या के आधी हो। और वे राज्य संघीय संसद के ऊपरी भवन में राज्यों के लिए निर्धारित की गई सीटों में से आधी सीटों के प्राप्त करने के अधिकारी हो।

1935 के एक्ट के अन्तर्गत गवर्नर जनरल संघीय कार्यपालिका का सर्वेसर्वा बना रहा। केन्द्र के लिए जिस द्वैध शासन का प्रावधान था उसके अनुसार वैदेशिक मामलों, सुरक्षा, धार्मिक मामले, ईसाइयों, तथा पिछड़े हुए प्रदेशों का प्रबन्धन गवर्नर जनरल के निजस्व के सलाहकारों को सुपुर्द किया जो संघीय व्यवस्था के प्रति जवाबदेह नहीं थे। शेष मंत्रियों की नियुक्ति व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के बीच से की जानी थी। यद्यपि मंत्रियों की संख्या दस निश्चित की गई। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं था। जिसके अनुसार गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका के बहुसंख्यक दल के नेताओं को ही मंत्री नियुक्त करने पर बाध्य होना पड़ता।

Scanned with CamScanner

संरक्षित विषयों के अतिरिक्त की गवर्नर जनरल को हस्तान्तरित विषयों के संबंध में भी विशेष उत्तरदायित्व थे। इस विषय के बारे में मंत्रियों से विचार के बावजूद उसके लिए उनकी सलाह को मानना आवश्यक नहीं था। संघीय सरकार की आर्थिक साख को कायम रखना, शांति और व्यवस्था बहाल करना, अल्पसंख्यक जातियों, संघीय सेवाओं तथा भारतीय नरेशों के हितों की रक्षा करना आदि व गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व थे।

संघीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया :—

① कौंसिल ऑफ स्टेट और
② फेडरल एसेम्बली।

पहले सदन की अधिकतम संख्या 260 और दूसरे सदन की अधिकतम सदस्यता 375 निर्धारित की गई। फेडरल एसेम्बली की कार्यविधी 5 वर्ष निश्चित की गई। जबकि कौंसिल ऑफ स्टेट को स्थायी सदन बनाया गया।

1935 के एक्ट के अनुसार शासन विषयों को तीन भागों में विभक्त किया गया — संघीय, प्रान्तीय एवं उभयनिष्ठ विषय :- केन्द्रिय व्यवस्थापिका को केन्द्रिय और उभयनिष्ठ सूचियों में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन कानून बनाने के संदर्भ में गवर्नर जनरल की निर्णायक भूमिका कायम रही। व्यवस्थापिका की इच्छा के प्रतिकूल कानून बनाने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था।

प्रान्तिय स्वायत्तता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रान्तिय सरकारें पहले की भाँति केन्द्रिय सरकार की एजेन्ट मात्र नहीं रह गयी साथ ही उनपर केन्द्रिय सरकार तथा भारत सचिव का नियंत्रण भी ढीला हुआ। सारे प्रशासनिक विभाग भारतीय मंत्रियों को हस्तान्तरित कर दिए गए। किन्तु गवर्नर जनरल की ही भाँति प्रांतिय गवर्नरों के विशेषाधिकार कायम रहे। विशेष परिस्थितियों में वह एक्ट की संबद्ध धारा को स्थगित कर संपूर्ण प्रांतिय सत्ता को अधिग्रहण कर लेता था।

भारत सचिव की कौंसिल को समाप्त कर एक परामर्शदात्री समिति बनायी गयी जिसकी अधिकतम संख्या 6 निर्धारित की गई।

1935 का एक्ट यद्यपि अब तक के समस्त

संवैधानिक सुधारों में व्यापकता था फिर भी इसमें अनेक त्रुटियाँ थी। जैसे निरंकुश नरेशों को कौसंघीय प्रशासन में जोड़ा जाना, गवर्नर जनरल और प्रान्तिय गवर्नरो के विशेषाधिकारों ने वास्तव में जनतंत्रीय एवं जिम्मेदार सरकार के अस्तित्व पर प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दिया।

तात्कालीन प्रमुख राजनेताओं के द्वारा इस एक्ट के विषय में की गई प्रतिकुल टिप्पणियों से भी उनके असंतोष साफ तौर पर झलकते हैं। पंडित नेहरू ने इसी दासता का नया चार्टर बताते हुए कहा कि "We are Provided with a car, all brakes and no engine"

जिन्ना ने उसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से कुछ जनतंत्रीय परन्तु अन्दर से पूर्णत खोखला बताकर इस एक्ट की आलोचना की। सी० राजगोपालाचारी ने तो उसे दोहरी शासन से भी बूरा मानकर अपनी शुद्धता प्रदर्शित की।

वैसे भी यह अधिनियम नागरीक अधिकारों के बारे में मौन रहा। फिर भी अनेक खामियों के बावजूद 1935 का एक्ट संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

The end